भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3949

25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

3949. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का नाम बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नाम बदलने से पोषण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी मदद मिलेगी; और

(ग) पुनरूद्धार योजना से पारम्परिक किस्म की फसलों, मोटे अनाजों और श्रीअन्न के बीजों की उपलब्धता बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): वर्ष 2024-25 के दौरान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) कर दिया गया है और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एडं एफ डब्लू) देश में दलहनों, पोषक अनाजों, चावल, गेहूं और मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एनएफएसएनएम को कार्यान्वित कर रहा है। एनएफएसएनएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, फसलन प्रणाली आधारित प्रदर्शनों, नई जारी किस्मों/संकरों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण आदि पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए राज्यों को छूट भी प्रदान करती है। राज्य मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) की मंजूरी से पीएम-आरकेवीवाई के तहत मोटा अनाज और मिलेट (श्री अन्न) को बढ़ावा दे सकते हैं।

*****